बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग
।। अधिसूचना ।।

अधि0 सं0–सं0का0–01/वि0मं0(महानुभाव)–08–07/2025–............../ पटना, दिनांक–................ 2026

विधान मण्डल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम–3 के आलोक में श्री संजय कुमार सिंह, माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद् को संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना सं0–536, दिनांक–20.05.2026 के द्वारा दिनांक–15.05.2026 के प्रभाव से मंत्री के दर्जा के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधायें प्रदत्त हैं। फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 2(ट) तथा नियम 3(ङ) से इन्हें उक्त दर्जा के अनुरूप निजी स्टाफ की सुविधा प्राप्त है।

2. बिहार (मंत्रियों के वेतन और भत्ते) अधिनियम, 2006 के धारा 2(ख) एवं बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम 18 से निर्धारित अनुसूची–1 (अद्यतन संशोधित) एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0–288 दिनांक 23.06.2014 द्वारा मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री को सरकारी एवं बाह्य सेवा के निजी कर्मचारी की सुविधा अलग–अलग प्रावधानित की गयी है।

3. उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में श्री संजय कुमार सिंह, माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद् के द्वारा सरकारी पदाधिकारी के श्रेणी में डॉ0 शिव शंकर प्रसाद सिंह (बिहार पशु चिकित्सा सेवा) सहायक निदेशक को उनके आप्त सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु उनके पत्रांक–88/मु0स0को0, दिनांक–22.05.2026 द्वारा इस स्वघोषणा के साथ सूचना दी गयी है कि वे उनके सगे–संबंधी नहीं है। उपर्युक्त अनुशंसा के आधार पर उक्त पदाधिकारी की सेवा आप्त सचिव के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध कराने हेतु इस विभाग के पत्रांक–595, दिनांक–02.06.2026 तथा पत्रांक–604, दिनांक–03.06.2026 द्वारा डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया था।

4. उपरोक्त के क्रम में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक–3393, दिनांक–03.07.2026 के द्वारा डॉ0 शिव शंकर प्रसाद सिंह, (बिहार पशु चिकित्सा सेवा) सहायक निदेशक की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर इस विभाग को उपलब्ध कराया गया है। तदनुसार इनकी सेवा महानुभाव के आप्त सचिव के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार विधान परिषद् सचिवालय को सौंपने हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है। इनकी सेवा इस अधिसूचना के निर्गत होने के पश्चात् योगदान की तिथि से उक्त महानुभाव के कार्यकाल तक बनी रहेगी। परन्तु महानुभाव के द्वारा उसके पहले भी किसी भी तिथि से इनकी सेवा समाप्त कर पैतृक विभाग को वापस किया जा सकता है। सेवा समाप्ति के बाद वे अपने पैतृक विभाग में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

5. डॉ0 शिव शंकर प्रसाद सिंह, आप्त सचिव के वेतनादि का भुगतान बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतियां सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त करा दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(सुधांशु शेखर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–01/वि0मं0(महानुभाव)–08–07/2025–............../ पटना, दिनांक–................ 2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वैयक्तिक दावा कोषांग, (वित्त विभाग) पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/प्रभारी सचिव, बिहार विधान परिषद्/लेखा–शाखा, बिहार विधान परिषद्/श्री संजय कुमार सिंह, माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद्/डॉ0 शिव शंकर प्रसाद सिंह, आप्त सचिव (राजपत्रित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–01/वि0मं0(महानुभाव)–08–07/2025–............../ पटना, दिनांक–................ 2026

प्रतिलिपि–अवर सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनकी अधिसूचना ज्ञापांक–3393, दिनांक–03.07.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–01/वि0मं0(महानुभाव)–08–07/2025–779/ पटना, दिनांक–08.07. 2026

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08-07-2026

सरकार के अपर सचिव।